—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 13/2024

उनवान

सीता पत्नी लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम नया गांव, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. कूका उर्फ हुक्म सिंह पुत्र दल्ला,
2. गणपत पुत्र दल्ला,
3. ग्यारसी देवी पत्नी हरबू,
4. गीता पुत्री हरबु,
5. बुद्वा पुत्र तेजा,
6. महेन्द्र सिंह पुत्र हरबू,
7. सुनीतादेवी पत्नी सुरेन्द्र सिंह जाति रावत नि. ग्राम नयागांव, नसीराबाद,
8. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा राजगढ,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

<u>प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 17.4.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नया गांव के हाल खसरा नम्बर 3566/2069 रकबा 0.1060 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2120 सडक से होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खसरा नम्बर 2070 रकबा 0.15 का उपयोग करते है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 8 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम नया गांव के हाल खसरा नम्बर 3566/2069 रकबा 0.1060 प्रार्थी की खातेदारी की है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2120 सडक से होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की खातेदारी खसरा नम्बर 2070 रकबा 0.15 का उपयोग करते है। तहसीलदार नसीराबाद की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 4 मीटर चौडा रास्ता हो उपलब्ध है जिसके दोनो ओर निर्माण है। बीच में

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आवागमन हेतु लोहे का गेट बना है। प्रार्थी के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही होना बताया गया है।

मौका रिपोर्ट मे कोई विपरित तथ्य प्रकट नही हुये है। अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज व मौका रिपोर्ट से रास्ते की आत्यतिंक आवश्यकता भी सिद्व होती है। आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 8 के नाम रहन दर्ज है। किन्तु रास्ते हेतु मात्र 80 वर्ग मीटर भूमि ही ली जानी है। शेष आराजी पूर्व अनुसार बैंक के पास रहन रहेगी। अतः प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसारः प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम नया गांव के हाल खसरा 2070 रकबा 0.15 में से 80 वर्ग मीटर (20 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा) रास्ता दिये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद रास्ते की भूमि के बदले खातेदार को 12160/ अक्षरे बारह हजार एक सौ साठ रूपये भुगतान होने के बाद उक्त भूमि गै.मु. रास्ता सिवायचक खातें में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:06:39 IST
Reason: SelfAttested